


फोन/Phone: 91-22-6656 5656



मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
MUMBAI PORT TRUST



सामान्य प्रशासन विभाग

पोर्ट भवन, दूसरा माला

शूरजी वल्लभदास मार्ग, बॉलार्ड इस्टेट

मुंबई - 400 001.

General Administration Department,
Port House, 2nd floor,
S.V. Marg, Ballard Estate,
MUMBAI - 400 001.

No. GAD/P/RECT-Dy.HoD(Welfare)/775

22nd February 2022

Recruitment Notice

The Chairperson
All Major Port Trusts
(Except Kamarajar Port Ltd.)

Sir/Madam,

Sub: Filling up the post of Sr. Dy. Manager (Welfare) in the Pay Scale of Rs. 80000-220000 (pre revised Rs. 32900-58000) in Mumbai Port Trust by absorption through composite method.

One post of Sr. Dy. Manager (Welfare) in the pay scale of Rs. 80000-220000 (pre revised Rs. 32900-58000) will fall vacant w.e.f. 1.8.2022 in Mumbai Port Trust. In terms of MbPT Employees (RS&P) Regulations, 2010, the post is to be filled by absorption through composite method amongst officers from Major Port Trusts. Copy of the Recruitment Rules for the post is at Annexure I.

2. Applications are invited from eligible and willing officers of all Major Port Trusts possessing prescribed qualifications, experience and other criteria/requirements as per the Recruitment Rules.

3. Applications be made through "Online Application Portal (OAP)" from 24.2.2022 to 25.3.2022. Print out of online application should be submitted through proper channel, along with copies of all required documents. The crucial date for determining eligibility for the post of Sr. Dy. Manager (Welfare) will be 1.8.2022. Applications, along with following documents may be forwarded by the concerned Port Trust to the undersigned so as to reach this office on or before 11.4.2022.

- (i) Certified copies of ACRs/APARs for the last 5 years (2016-17 to 2020-21) (duly attested by an officer not below the rank of Dy. HOD on each of the page).

- (ii) A statement showing year wise availability of ACRs and grading duly signed by the HoD or Secretary. If ACR for a particular year / period is not available, "No Report Certificate" to that effect may be attached along with ACRs of the preceding years.
- (iii) Administrative and Vigilance clearance duly filled, signed and stamped by the Head of the Department (copy of proforma enclosed at Annexure II).
- (iv) No objection certificate from the respective Port.
- (v) Undertaking of the applicants to the effect that candidature will not be withdrawn, if selected by Services Selection Committee.
- (vi) Attested copies of all certificates as a proof of educational qualification, experience in the respective post and pay scale wise, duly verified by the Port while forwarding the application to this Port.
- (vii) If any major or minor penalty has been imposed on the applicant during the last 10 years, the disciplinary case leading to such penalty along with necessary documents may be sent by the forwarding authority along with the application. Vigilance report is to be furnished in the attached format as Annexure III.

4.1 Instructions to the candidates :

Interested eligible candidates are requested to apply online against this circular on the "Online Application Portal (OAP)" of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways website <http://onlinevacancy.shipmin.nic.in>. The link will be open from **24.2.2022 to 25.3.2022**. The candidate at first has to register himself in the OAP. After applying through online, the candidate has to take printout of the online application and submit the same along with the self-attested photocopies of supporting documents and 2 recent passport size photographs to concerned Port. Incomplete applications or applications received late may not be considered.

4.2 In terms of Ministry's letter dated 9.7.2020, the Appointing Authority as well as Disciplinary Authority for all Dy. HoD level posts will be the Central Government i.e. Secretary (Ports, Shipping and Waterways). In this connection, all Major Ports are directed to carry out amendments in their Service Regulations viz. Recruitment Rules (RRs), Seniority and Promotion (RS&P), Classification, Control and Appeal and other relevant Regulations (wherever required) as per the laid down procedure.

4.3 Subsequently, the Ministry, by letter dated 29.12.2020 has conveyed that "till amendments in the Service Regulations viz. Recruitment Rules (RRs), Seniority and Promotion (RS&P), Classification, Control and Appeal and other relevant Regulations are notified, Dy. HoD level posts in Major Port Trusts may be filled up only by absorption through composite method at Port level. Advertisement for filling up of the posts, DPC etc. may be held at Port level. However, recommendations of the DPCs may be conveyed by Major Port Trusts to this Ministry and obtain approval of the Ministry before issuing appointment orders."

4.4 As per Ministry's advisory/ instructions dated 11.8.2021 in respect of filling up the post of Dy. HoD level, in case of receipt of advance copy of application in respect of any applicant by the Port, candidature of the candidate would not be considered by the Port if his/ her application is not received within 15 days of the last date of receipt of applications.

4.5 Also, as per the aforesaid instructions dated 11.8.2021, Port official, who withdraws his/her candidature for the post after the selection by the Service Selection Committee, will be liable for debarment from future selection to Dy. HOD level posts in all Major Port Trusts for a period of two years.

5. Circular alongwith annexures is also available on our website www.mumbaiport.gov.in.

Yours faithfully,



SECRETARY
MUMBAI PORT TRUST

Encl : As above

Annexure I

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection post	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Sr Deputy Manager (Welfare)	1	Class-I	16000 400- 20800	Selection	42	<p>Essential:</p> <p>(i) A degree from a recognised University.</p> <p>(ii) 12 years experience in executive cadre in the field of Personnel Management, Labour Welfare and Industrial Relations, etc. in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.</p> <p>(iii) knowledge of Marathi</p> <p>Desirable:-</p> <p>(i) Post Graduate degree/diploma in Personnel Management/Industrial Relations/Social Work/Labour Welfare or allied subjects or degree in Law from a recognised University/Institution.</p>	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	<p>By absorption through composite method failing which</p> <p>By deputation from other Govt. organisations and failing both</p> <p>By direct recruitment</p>	<p>For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or the post of Dy. Welfare Officer or officers holding equivalent posts in the scale of pay of Rs.13000-18250 with 3 years regular service in the grade in a Major Port Trust or DY. WO or equivalent officer with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scale of pay of Rs.10750-16750 and Rs.13000-18250 in a Major Port Trust will be eligible.</p> <p>For deputation, officers holding analogous posts or holding posts of Dy. WO or equivalent posts in the scale of pay of Rs.13000-18250 in Govt./Semi Govt./PSUs or Autonomous Bodies with 3 years regular service in the grade will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".</p>	

ANNEXURE II

Certificate to be given by Head of Department of

Shri/Smt. _____

Designation _____

1. It is certified that the particulars furnished by the officer are correct.
2. It is certified that no disciplinary/vigilance case is pending or contemplated against the applicant and he/she is clear from Vigilance and Administrative angle.
3. His/Her integrity is certified.
4. It is certified that no major/minor penalties have been imposed on the applicant during the last 10 years. If any, kindly indicate details thereof.
5. Attested copies of ACRs for the last five years (1.4.2016 to 31.3.2021) are enclosed.
6. It is certified that the incumbent meets the requisite eligibility criteria w.r.t. educational qualification and experience as specified in the Annexure I of the circular for absorption through composite method.

SIGNATURE OF THE
HEAD OF DEPARTMENT WITH SEAL

FORM FOR VIGILANCE CLEARANCE

Ref. No.

Date:

Part A **To be filled by the HR Deptt.**

1. Name of the applicant :
2. Deptt. & P.F. A/c No. :
3. Designation & Class :
4. Revised pay scale (Rs.) :
5. Whether Annual Property Return (APR) has been submitted in time (applicable for Class I and II) : Yes/No
6. Date of submission of APR :
7. Purpose for seeking vigilance clearance :
8. Whether any disciplinary proceedings Contemplated/ initiated against the Applicant (also give previous record, if any) : Yes/ No
9. If yes, give details/status thereof:
10. Whether under tenancy of punishment : Yes/ No.
11. Whether any local police case filed by MbPT/Port/pending : Yes/ No
12. Whether any compliant pending against the officer as on date (if yes, details to be furnished) : Yes/No

(Signature of HOD/HR Deptt.)

Part B **To be filled by Vigilance Deptt.**

13. Remarks of Vigilance Deptt. :
(give complete status and recommendations, If any. Attach separate sheet, if required)
14. Vigilance clearance : Accorded/ Not Accorded

Date:

(Signature of CVO/Dy. CVO)



सं.साप्रवि/पी/भर्ती-डेप्युटी एचओडी(कल्याण)/775

22 फरवरी 2022

भर्ती सूचना

अध्यक्ष
सभी महापत्तन न्यास
(कामराजर पोर्ट लि. को छोडकर)

महोदय/महोदया,

विषय: मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में रु 80000-220000 (रु 32900-58000 संशोधन पूर्व) के
वेतन मान में वरिष्ठ उप प्रबंधक (कल्याण) का पद भरना.

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में रु 80000-220000 (संशोधन पूर्व रु 32900-58000) वेतनमान में वरिष्ठ उप प्रबंधक (कल्याण) का 1 पद दि. 1.8.2022 को रिक्त होने वाला है. मुंपोट्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2010 के अनुसार यह पद मिश्रित पद्धति के माध्यम से महा पत्तन न्यासों से अधिकारियों का समावेश करके भरा जाना है. इस पद के लिए भर्ती नियमों की प्रति अनुलग्नक I में है.

2. भर्ती नियमों के अनुसार निर्धारित योग्यता, अनुभव तथा अन्य निकषों/आवश्यकताओं को धारण कर रहे सभी महा पत्तन न्यासों के पात्र तथा इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं.

3. आवेदन "ऑनलाईन आवेदन पोर्टल (ओएपी)" के माध्यम से **24.2.2022 से 25.3.2022** प्रस्तुत किए जाए. ऑनलाईन आवेदन की प्रिंट आउट सभी आवश्यक कागजातों की प्रतियों के साथ उचित माध्यम के जरिए प्रस्तुत की जाना जरुरी है. वरिष्ठ उप प्रबंधक (कल्याण) के पद के लिए पात्रता तय करने की निर्णायक तिथि **1.8.2022** होगी. निम्नलिखित कागजातों के साथ आवेदन संबंधित पोर्ट ट्रस्ट द्वारा अधोहस्ताक्षरी को **11.4.2022** या उससे पहले इस कार्यालय में प्राप्त हो इस प्रकार अग्रेषित किये जाएं.

- (i) पिछले 5 वर्षों की (2016-17 से 2020-21) वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों/वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की प्रमाणित प्रतियाँ (उप विभाग प्रमुख स्तर से कम नहीं ऐसे अधिकारी द्वारा हर एक पन्ने पर विधिवत प्रमाणित करें).

- (ii) वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की वर्षवार उपलब्धता तथा श्रेणीकरण दर्शानेवाला विवरण, विभाग प्रमुख अथवा सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो. पिछले पाँच वर्षों में से यदि किसी विशिष्ट वर्ष/अवधि की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उपलब्ध न हो तो उसके बारे में 'रिपोर्ट नहीं है प्रमाणपत्र' पूर्ववर्ती वर्षों के गोपनीय रिपोर्टों के साथ प्रस्तुत करें.
- (iii) संबंधित विभाग प्रमुख द्वारा विधिवत भरा गया, हस्ताक्षरित किया गया, तथा मुहर लगाया गया प्रशासनिक तथा सतर्कता अनापत्ति (प्रपत्र की प्रति अनुलग्नक II में संलग्न की गई है).
- (iv) संबंधित पोर्ट द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र.
- (v) आवेदक को यदि सेवा चयन समिति द्वारा चयन किया जाता है, तो उम्मीदवारी वापस नहीं ली जाएगी, इस आशय का प्रतिज्ञापत्र देना होगा.
- (vi) इस पोर्ट को आवेदन अग्रेषित करते समय संबंधित पद तथा वेतनमान वार उसमें शैक्षणिक योग्यता, अनुभव के प्रमाण के रूप में सभी प्रमाणपत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियों को संबंधित पोर्ट द्वारा विधिवत सत्यापित किया जाए.
- (vii) यदि पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदन पर कोई बड़ा या मामूली दण्ड लगाया गया है, तो आवश्यक कागजातों के साथ अनुशासनात्मक मामला जो ऐसे दण्ड की ओर ले जाता हो इसे आवेदन सहित अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा अनुलग्नक III के रूप में संलग्न फॉर्मेट में सतर्कता रिपोर्ट प्रस्तुत की जाना जरूरी है.

4.1 उम्मीदवारों को अनुदेश:

इस परिपत्र के संदर्भ में इच्छुक पात्र उम्मीदवारों को अपना आवेदन पत्तन, पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय की वेबसाईट <http://onlinevacancy.shipmin.nic.in> के "ऑनलाईन आवेदन पोर्टल (ओएपी)" के माध्यम से ऑनलाईन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है. यह लिंक **24.2.2022 से 25.3.2022** तक खुली होगी. सबसे पहले उम्मीदवार को अपने आप को ओएपी में पंजीकृत करवा लेना जरूरी है. ऑनलाईन आवेदन करने के बाद, उम्मीदवार को ऑनलाईन आवेदन का प्रिंट आउट लेकर उसे स्वयं प्रमाणित पुष्टीकृत कागजातों की फोटो प्रतियों के साथ 2 हालही के पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ्स के साथ संबंधित पोर्ट को प्रस्तुत करना जरूरी है. अपूर्ण आवेदन अथवा देर से प्राप्त हुए आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा.

4.2 मंत्रालय के दिनांक 9.7.2020 के पत्र के अनुसार, सभी उप विभाग स्तर पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी तथा अनुशासनिक प्राधिकारी केंद्र सरकार अर्थात् सचिव (पत्तन, पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय) होंगे. उस संबंध में, सभी महा पत्तन न्यासों को उनके सेवा विनियमों में अर्थात् भर्ती नियम (RRs), वरिष्ठता तथा पदोन्नति (आर एस अॅण्ड पी), वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील तथा अन्य संगत विनियमों में (जहाँ कहीं भी आवश्यक हो) निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार संशोधन करने का निदेश दिया जाता है.

4.3 तत्पश्चात्, मंत्रालय ने दिनांक 29.12.2020 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि सेवा विनियमों में अर्थात् भर्ती नियम (RRs), भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति (आर एस अॅण्ड पी), वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील तथा अन्य संगत विनियमों में जब तक संशोधनों को अधिसूचित नहीं किया जाता है तब तक, महा पत्तन न्यासों में उप विभाग प्रमुख के स्तर के पदों को केवल पोर्ट के स्तर पर मिश्रित पद्धति द्वारा समावेश करके भरा जा सकता है, पदों को भरने हेतु विज्ञापन, विभाग में पदोन्नति समिति आदि को पोर्ट के स्तर पर आयोजित किया जाए. तथापि विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की सिफारिशों के बारे में महा पत्तन न्यासों द्वारा मंत्रालय को सूचित किया जाएगा तथा नियुक्ति आदेशों को जारी करने से पहले मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा.

4.4 मंत्रालय के दिनांक 11.8.2021 की सलाह/ अनुदेशों के अनुसार, उप विभाग प्रमुख स्तर का पद भरने के संबंध में, पोर्ट द्वारा किसी भी आवेदक के संबंध में आवेदन की अग्रिम प्रति की प्राप्ति के बारे में यदि उसका आवेदन आवेदनों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि के 15 दिनों के अंदर प्राप्त नहीं हुआ तो पोर्ट द्वारा उस उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जायेगा.

4.5 उसी प्रकार, उपरोक्त दिनांक 11.8.2021 के अनुसार, जो पोर्ट अधिकारी सेवा चयन समिति द्वारा उसका चयन किये जाने के बाद इस पद के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस लेता है तो उसे दो वर्ष की अवधि के लिए सभी महापत्तन न्यासों में उप विभाग प्रमुख स्तर के पदों पर भविष्य में चयन हेतु विवर्जित किया जा सकता है.

5. अनुलग्नकों सहित परिपत्र हमारी वेबसाईट www.mumbaiport.gov.in पर भी उपलब्ध है.

संलग्न. यथोक्त.

भवदीय,



सचिव

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

कल्याण प्रभाग

अनुसूची - I

क्र. स.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपये)	चयन या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएँ (ग) अनुभव पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू है	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पध्दति (सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में भर्ती किस श्रेणी से की जानी है	अभ्युक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
17.	वरिष्ठ उप प्रबंधक (कल्याण)	1	श्रेणी - I	16000-400-20800	चयन	42 वर्ष	<p>अनिवार्य :</p> <p>i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पदवी</p> <p>ii) किसी औद्योगिक/ व्यापारिक/सरकारी उपक्रम में कार्मिक प्रबंधन श्रम कल्याण और औद्योगिक संबंध आदी क्षेत्र में कार्यकारी संवर्ग पद पर 12 वर्ष का अनुभव.</p> <p>iii) मराठी का ज्ञान</p> <p>वांछनीय :</p> <p>i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/श्रम कल्याण/अथवा संबंध विषयों में स्नातकोत्तर पदवी/पदविका अथवा कानूनी पदवी.</p>	क) नहीं ख) हाँ ग) नहीं	लागू नहीं	संयुक्त पध्दति द्वारा विलयन से अन्यथा अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों नहीं होने पर सीधी भर्ती द्वारा	संयुक्त पध्दतिद्वारा महापत्तन न्यासों में तत्समान पद धारण करनेवाले अधिकारी अथवा उप क.अ. अथवा 13000-18250 रुपये के वेतनमान पर 3 वर्ष से नियमित सेवा कर रहे अधिकारी अथवा उसी वेतनमान में 2 वर्ष से नियमित सेवा कर रहे उप क.अ. अथवा समकक्ष अधिकारी और महा पत्तन न्यासों में 10750-16750 रूपये के वेतनमान में और 13000-18250 रुपये के वेतनमान पर संयुक्त स से 7 वर्ष से नियमित सेवा कर रहे अधिकारी विलयन के लिये योग्य होंगे.	सरकारी/अर्धसरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकायों में तत्समान पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा उप कल्याण अधिकारी अथवा 13000-18250 रुपये के वेतनमान पर 3 वर्ष से नियमित सेवा कर रहे अधिकारी प्रति नियुक्ति के योग्य है.	योग्यता द्वारा चयन होने पर वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में बेचमार्क की संपूर्ण प्रेडिंग "बहुत अच्छा" होना चाहिए.

विभाग प्रमुख द्वारा दिया जानेवाला प्रमाणपत्र

श्री/श्रीमती -----

पद -----

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है.
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता का मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है और वे/वह सतर्कता और प्रशासनिक दृष्टिकोण से निर्दोष है.
3. उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है.
4. यह प्रमाणित है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर कोई बड़ा/मामूली दण्ड नहीं लगाया गया है. यदि कोई हो तो कृपया उसका विवरण दें.
5. पिछले पांच वर्षों (1.4.2016 से 31.3.2021) के लिए एसीआर की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न हैं.
6. यह प्रमाणित है कि पदग्राही समग्र योग्यता के माध्यम से मिश्रित पध्दति से भर्ती के परिपत्रक के अनुलग्नक -I में निर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता और अनुभव आदि अपेक्षित पात्रता मानदण्डों को पूरा करता है.

विभाग प्रमुख का हस्ताक्षर मोहर (सील) के साथ

सतर्कता अनापत्ति हेतु प्रपत्र

संदर्भ संख्या

दिनांक

भाग ए मानव संसाधन विभाग द्वारा भरा जाए:

- 1 आवेदक का नाम :
- 2 विभाग तथा भविष्य निधि खाता संख्या :
- 3 पदनाम तथा श्रेणी :
- 4 संशोधित वेतनमान (रु) :
- 5 क्या वार्षिक संपत्ति विवरणी (Annual Property Returns (APR) वक्त पर प्रस्तुत किया है (प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के लिए लागू) : हॉ/नहीं
- 6 वार्षिक संपत्ति विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि :
- 7 सतर्कता अनापत्ति प्राप्त करने का उद्देश्य :
- 8 क्या अधिकारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही या चार्जशीट लंबित है (यदि ऐसा है तो पहले के रिकार्ड प्रस्तुत करें) : हॉ/नहीं
- 9 यदि हाँ तो विवरण/ताजा स्थिति की जानकारी दे :
- 10 क्या सजा की प्रक्रिया के अधिन है. (क्या आवेदक के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई की गई है. यदि हाँ विस्तृत विवरण दें.) : हॉ/नहीं
- 11 क्या मुंपोद्/पत्तन द्वारा स्थानिक पुलिस गें कोई केस दर्ज किया गया है/लंबित है. : हॉ/नहीं
- 12 आज की तारीख में क्या अधिकारी के विरुद्ध कोई शिकायत लंबित है (यदि हां, तो विवरण दिया जाय)

(वि.प्र. के हस्ताक्षर/मा.सं.विभाग)

भाग बी सतर्कता विभाग द्वारा भरा जाए:

- 13 सतर्कता विभाग की अभ्युक्तियाँ (संपूर्ण ताजा स्थिति तथा सिफारिशें यदि कोई हो तो दें. यदि आवश्यक हो तो अलग प्रपत्र जोड़ें) :
- 14 सतर्कता अनापत्ति : प्रदान की गयी/नहीं प्रदान की जा सकती

दिनांक:

(मुख्य सतर्कता अधिकारी / उप मुख्य सतर्कता अधिकारी के हस्ताक्षर/)